

## राजस्व विभाग

## अधिसूचना

दिल्ली, 21 जून, 2011

फा. सं. 1(468)/99/स.प्र./स्थ./डीसी/पार्ट फा./824.— पूर्व अधिसूचना संख्या एफ. 1(468)/99/स.प्र./स्थ./डीसी/पार्ट फा./1609, दिनांक 24-11-2010 के अधिक्रमण में एवं वक्फ अधिनियम, 1995 (43 के 1995) की धारा 83 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, सुश्री निवेदिता अनिल शर्मा, दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा की अधिकारी को वक्फ ट्रिब्यूनल का पीठासीन अधिकारी नियुक्त करते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में किसी भी प्रकार के विवाद, निर्णय प्रश्न और दूसरे अन्य मामले जो कि वक्फ सम्पत्ति से संबंधित हैं तथा वक्फ अधिनियम, 1995 और दिल्ली वक्फ नियम, 1997 के अन्तर्गत उन्हें शक्तियां प्रदान करते हैं।

सुश्री निवेदिता अनिल शर्मा, अपने कार्य के अतिरिक्त जो कार्य उन्हें प्रदान किया गया है इस ट्रिब्यूनल में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करेंगी। वह अपना वेतन न्यायिक सेवा में अपने वेतनमान पर ही प्राप्त करेंगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
कुलदीप सिंह गंगर, अति. सचिव (राजस्व)

## REVENUE DEPARTMENT

## NOTIFICATION

Delhi, the 21st June, 2011

**F. No. 1(468)/99/GA/Estt. /DC/Part File/ 824.**—In supersession of the previous notification No.F.1(468)/99/GA/ Estt. /DC/Part File/1609, dated 24-11-2010 and in exercise of the powers conferred under Section 83(1) of the Wakf Act, 1995 (43 of 1995), and all other powers relevant enabling him in this regard, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby, appoints Ms. Nivedita Anil Sharma, an officer of Delhi Higher Judicial Service as the Presiding Officer of Wakf Tribunal, for the National Capital Territory of Delhi for the determination of any dispute, Question or other matters relating to Wakf or Wakf properties under the Wakf Act, 1995 and the Delhi Wakf Rules, 1997.

Ms. Nivedita Anil Sharma will work as Presiding Officer of this Tribunal in addition to the work already assigned to her. She will draw her salary in her own scale in the judicial Service.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,  
KULDEEP SINGH GANGER, Addl. Secy. (Revenue)